एम-11015/177/2022-सीबी

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के.जी. मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2021

विषय: दिनांक 30.06.2022 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

कृपया सचिव (पीआर) की अध्यक्षता में दिनांक 30/06/2022 को सम्मेलन कक्ष, 9वीं मंजिल, जीवन भारती भवन, नई दिल्ली में आयोजित संशोधित आरजीएसए की सीईसी की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

(पंकज कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.- 011-2375 3817

प्रति प्रेषित,

(i) केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) के सभी सदस्य

(ii) बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव (आरवाई) के निजी सचिव
प्रतिलिपि: श्री सुधांशु, एनआईसी सेल, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

30 जून 2022 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की दूसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक 30 जून, 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-IV** में दी गई है।

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय तथा सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सीईसी बैठक के एजेंडे को संक्षेप में साझा किया।

इसके बाद, सचिव, पंचायती राज तथा सीईसी के अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्राप्ति के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में तीनों स्तरों पर पीआरआई के प्रदर्शन का मानचित्रण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सचिव, पंचायती राज ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण मॉड्यूल को नियोजन प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा व्यावहारिक अनुभवों के लिए नियमित रूप से कम से कम आधे दिन के लिए फील्ड विजिट/एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जाने चाहिए। सचिव, पंचायती राज ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तैयार करने तथा पंचायतों में स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) को बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सक्षमकर्ताओं को आगे आना होगा। उन्होंने भाग लेने वाले राज्यों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सी.बी.एंड.टी. गतिविधियों में तेजी लाने के लिए संशोधित आरजीएसए के राज्य मिलान हिस्से को जारी करने में सक्रिय रूप से कार्य करें।

इसके बाद, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे पर विचार किया गया।

<u>एजेंडा-1: ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना</u>

1.1 सीईसी को बताया गया कि ई-पंचायत (एमएमपी) पर मिशन मोड परियोजना, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और बदलने की दृष्टि से पीआरआई को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीकों में बदलने के लिए पुनर्निर्मित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। आरजीएसए योजना के तहत ई-पंचायत एमएमपी के लिए 20 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय (बीई 2022-23) है। वर्ष 2022-23 में, ई-ग्राम स्वराज के संचालन और रखरखाव/संवर्धन के अलावा प्रणालियों को और मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए कई संवर्द्धन और विकास कार्य (रिपोर्टिंग डैशबोर्ड का विकास, आम

तौर पर सामना किए जाने वाले मुद्दों आदि को हल करने के लिए चैटबॉट आदि सहित) शामिल होंगे। एनआईसी/एनआईसीएसआई ने वर्ष 2022-23 के लिए ई-ग्राम स्वराज और अन्य ई-पंचायत अनुप्रयोगों के रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए 19.99 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तावित गतिविधियों और वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक	लागत (रु. में)
1.	एनपीएमयू	रू. 4,11,65,810/-
2.	एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर	रू. 11,07,75,950/-
3.	साइबर सुरक्षा ऑडिट	रू. 22,15,520/-
4.	हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर	रू. 3,80,40,017/-
5.	क्षमता निर्माण	रू. 30,55,492/-
6.	विविध / आकस्मिकताएँ	रू. 47,42,780/-
परियोजना कुल		**रू. 19,99,95,569/-**

1.2 **सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और उपरोक्त पैरा 1.1 में सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों के लिए 19.99 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई , साथ ही पुनरोद्धार आरजीएसए के एक केंद्रीय घटक ई-पंचायत (एमएमपी) पर मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और आरजीएसए-एमआईएस के लिए समर्पित मानव शक्ति के साथ अलग सेल के प्रावधान को भी मंजूरी दी।**

एजेंडा-2: विभिन्न प्रकोष्ठों के अंतर्गत जनशक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव

एजेंडा-2 (क): संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के तहत पंचायतों के प्रोत्साहन में जनशक्ति का प्रस्ताव

2(क).1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि "पंचायतों को प्रोत्साहनीकरण" संशोधित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। इस घटक के तहत पंचायतों को एलएसडीजी के विषयों के तहत उनके प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो उन्हें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आवश्यक क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ समर्पित और विशिष्ट जनशक्ति (संविदात्मक) की आवश्यकता होगी। इसलिए, योजना घटक के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए योजना के तहत जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी। जनशक्ति के चयन के लिए बुनियादी मानदंड और अन्य विवरण **अनुबंध-I** में हैं। जनशक्ति की नियुक्ति प्रभाग द्वारा आवश्यकता/तात्कालिकता आदि के अनुसार की जाएगी। इस घटक के तहत जनशक्ति (संविदात्मक) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत बजट शीर्ष से पूरी की जाएगी। इस उप-योजना

के अंतर्गत, प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता वाले युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिन्हें किसी परियोजना या अभियान की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत जनशक्ति की नियुक्ति के लिए इस स्तर पर प्रस्तावित आवश्यकता और उनके संबंधित अनुमानित वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं:

i) परामर्शदाता - 03
ii) आईटी विशेषज्ञ - 01
iii) कार्यालय सहायक - 01

उपर्युक्त जनशक्ति को काम पर रखने के लिए संभावित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रु. में)

पदनाम	**रिक्तियों की संख्या**	**मासिक पारिश्रमिक (रेंज)**	**2022-23**	**2023-24***	**2024-25***	**2025-26***
परामर्शदाता	03	90,000/- to 1,30,000/-	32,40,000/- to 46,80,000/-	34,02,000/- to 49,14,000/-	35,72,100/- to 51,59,700/-	37,50,705/- to 54,17,685/-
आईटी विशेषज्ञ	01	50,000/- to 70,000	6,00,000/- to 8,40,000/-	6,30,000/- to 8,82,000/-	6,61,500/- to 9,26,100/-	6,94,575/- to 9,72,405/-
कार्यालय सहायक	01	36,000/- to 60,000/-	4,32,000/- to 7,20,000/-	4,53,600/- to 7,56,000/-	4,76,280/- to 7,93,800/-	5,00,094/- to 8,33,490/-
कुल			42,72,000/- to 62,40,000/-	44,85,600/- to 65,52,000/-	47,09,880/- to 68,79,600/-	49,45,374/- to 80,57,070/-

(*) इसमें *5%* की कार्यनिष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

2(क).2 सीईसी (एएस एंड एफए) के सदस्य ने पूछा कि क्या पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण के तहत प्रस्तावित जनशक्ति की आवश्यकता मौजूदा जनशक्ति से अलग है या उसी जनशक्ति को पुनर्निर्मित योजना के तहत एब्जोर्ब किया जा रहा है। यह बताया गया कि सलाहकार-3, आईटी विशेषज्ञ-1 और कार्यालय सहायक-1 के संविदात्मक पदों को "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत बनाने का प्रस्ताव है, जो पहले की योजना के तहत प्रावधानित नहीं था। यह स्पष्ट किया गया कि प्रोत्साहनीकरण को संशोधित किया जा रहा है और यह ऑनलाइन मोड में होगा, जिसके लिए इसे नियंत्रित करने के लिए एक आईटी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। इसलिए, एक आईटी विशेषज्ञ को काम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण के तहत पहले से ही 3 सलाहकार काम कर रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से लगे हुए हैं, क्योंकि यह पहले की योजना में प्रावधानित नहीं था।

2(क).3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और प्रशासनिक सुविधा के लिए संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण के तहत एक आईटी विशेषज्ञ की नियुक्ति और 3 मौजूदा बाहरी पेशेवर/परामर्शदाताओं को रखने हेतु मंजूरी दी, जो प्रस्तावित पारिश्रमिक (सीमा) और अनुबंध-I में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों पर आधारित है। कार्यालय सहायक को मंत्रालय द्वारा आवश्यकतानुसार प्रभाग में रखा जाएगा। इस घटक के तहत जनशक्ति (अनुबंधित) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता को संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत बजट शीर्ष से पूरा किया जाएगा।

<u>एजेंडा-2(ख): संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत एक्शन रिसर्च एवं प्रचार में जनशक्ति का प्रस्ताव</u>

2(ख).1 सीईसी को अवगत कराया गया कि संशोधित आरजीएसए के तहत "कार्य अनुसंधान और प्रचार" को एक केंद्रीय घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान आधारित अध्ययन करना और ग्रामीण जनता/पंचायतों के बीच जागरूकता पैदा करना है, जो संशोधित आरजीएसए की छत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आवश्यक क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ समर्पित और विशेषज्ञ जनशक्ति (संविदात्मक) की आवश्यकता है। इसलिए, आईईसी और अनुसंधान आधारित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए योजना के घटक के तहत जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी। जनशक्ति (संविदात्मक) का वित्तपोषण संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "कार्य अनुसंधान और प्रचार" के तहत बजट शीर्ष से किया जाएगा। जनशक्ति की नियुक्ति प्रभाग द्वारा आवश्यकता/तात्कालिकता आदि के अनुसार की जाएगी। जनशक्ति के चयन के लिए बुनियादी मानदंड और अन्य विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं। इस उप-योजना के तहत, प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता वाले युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिन्हें किसी परियोजना या अभियान की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी के तहत जनशक्ति की प्रस्तावित आवश्यकता और उनके अनुरूप अनुमानित वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं:

i) परियोजना समन्वयक - 01

ii) परामर्शदाता - 03

iii) कार्यालय सहायक - 02

उपर्युक्त जनशक्ति को काम पर रखने के लिए संभावित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रु. में)

पदनाम	**रिक्तियों की संख्या**	**रेंज**	**वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष के अनुसार)**			
			2022-23	**2023-24 (*)**	**2024-25 (*)**	**2025-26 (*)**
परियोजना समन्वयक	01	1,00,000/- to 1,50,000/-	12,00,000/- to 18,00,000/-	12,60,000/- to 18,90,000/-	13,23,000/- to 19,84,500/-	13,89,150/- to 20,83,725/-
परामर्शदाता	03	90,000/- to 1,30,000/-	32,40,000/- to 46,80,000/-	34,02,000/- to 49,14,000/-	35,72,100/- to 51,59,700/-	37,50,705/- to 54,17,685/-
कार्यालय	02	36,000/-	8,64,000/-	9,07,200/-	9,52,560/-	10,00,188/

सहायक		to 60,000/-	to 14,40,000/-	to 15,12,000/-	to 15,87,600/-	- to 16,66,980/-
		कुल	53,04,000/- to 79,20,000/-	55,69,200/- to 83,16,000/-	58,47,660/- to 87,31,800/	61,40,043/- to 91,68,390/

(*) इसमें *5%* की कार्यनिष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

2(ख).2 सीईसी (एएस एंड एफए) के सदस्य ने फिर पूछा कि क्या "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत प्रस्तावित जनशक्ति की आवश्यकता मौजूदा जनशक्ति से अधिक है या उसी जनशक्ति को संशोधित योजना के तहत समाहित किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना समन्वयक-1, परामर्शदाता-3 और कार्यालय सहायक-2 के संविदात्मक पदों को "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत सृजित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा जनशक्ति को उपयुक्त रूप से समाहित किया जाएगा और शेष पदों को खुले बाजार में भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

2(ख).3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक "कार्य अनुसंधान एवं प्रचार" के अंतर्गत एक परियोजना समन्वयक और 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी। कार्य अनुसंधान एवं शोध अध्ययन की पूर्ववर्ती योजना में पहले से काम कर रहे मौजूदा परामर्शदाता को प्रस्तावित पारिश्रमिक (सीमा) और अनुबंध-II में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों पर प्रशासनिक सुविधा के लिए नए केंद्रीय घटक के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कार्यालय सहायक को आवश्यकतानुसार प्रभाग में रखा जाएगा। इस घटक के अंतर्गत जनशक्ति (अनुबंधित) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "कार्य अनुसंधान एवं प्रचार" के अंतर्गत बजट शीर्ष से पूरी की जाएगी।

एजेंडा - 2(ग): संशोधित आरजीएसए में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के अंतर्गत संचार प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव:

2(ग).1 सीईसी को बताया गया कि संशोधित आरजीएसए में प्रावधान किया गया है (कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 7.8.4) कि राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएमयू के तहत “पुनर्निर्मित आरजीएसए के कार्यान्वयन के दौरान सामने आयी आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य विशेष या सामान्य सेल” स्थापित किया जा सकेगा, जिसे पेशेवर समर्थन प्रदान करने के लिए एमओपीआर में रखा जाएगा। इसलिए, केंद्रित और सुव्यवस्थित वीडियो प्रलेखन और प्रसार के लिए एनपीएमयू के तहत एक संचार विशेषज्ञ और दो सलाहकारों से युक्त एक ‘संचार सेल’

स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। सीईसी को यह भी अवगत कराया गया कि संशोधित आरजीएसए के सीसीईए नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ परामर्श के दौरान, पीआरआई के इंटरैक्टिव और प्रभावी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के लिए उभरती हुई तकनीक और ऑडियो विजुअल मार्शल पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया था 'संचार प्रकोष्ठ' के लिए प्रस्तावित जनशक्ति की संख्या और पारिश्रमिक की सीमा निम्नानुसार है:

(i) संचार विशेषज्ञ - 1

(ii) परामर्शदाता - 2

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक (रेंज)
1	संचार विशेषज्ञ(1)	Rs.1,50,000- Rs.2,00,000

2(ग).2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और संशोधित आरजीएसए के एनपीएमयू के तहत एक 'संचार सेल' स्थापित करने को मंजूरी दी, जिसमें एक विशेषज्ञ और दो परामर्शदाता शामिल होंगे, जैसा कि ऊपर पैरा 2(ग).1 में प्रस्तावित है।

एजेंडा-3: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाएँ

3.1 अंडमान और निकोबार द्वीप

3.2 अरुणाचल प्रदेश

3.3 बिहार

3.4 झारखंड

3.5 लद्दाख

3.6 मध्य प्रदेश

3.7 पंजाब

3.8 राजस्थान

3.9 तमिलनाडु

3.10 पश्चिम बंगाल

अनुबंध- I

आरजीएसए (पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की भर्ती

आरजीएसए (पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की आवश्यकता और उनके अनुमानित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रु. में)

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	मासिक पारिश्रमिक (रेंज)	वित्तीय निहितार्थ (वित्तीय वर्ष-वार)			
			2022-23	2023-24*	2024-25*	2025-26*
परामर्शदाता	03	90,000/- to 1,30,000/-	32,40,000 /- to 46,80,000 /-	34,02,000 /- to 49,14,000 /-	35,72,100 /- to 51,59,700 /-	37,50,705 /- to 54,17,685 /-
आईटी विशेषज्ञ	01	50,000/- to 70,000	6,00,000/ - to 8,40,000/ -	6,30,000/ - to 8,82,000/ -	6,61,500/ - to 9,26,100/ -	6,94,575/ - to 9,72,405/ -
कार्यालय सहायक	01	36,000/- to 60,000/-	4,32,000/ - to 7,20,000/ -	4,53,600/ - to 7,56,000/ -	4,76,280/ - to 7,93,800/ -	5,00,094/ - to 8,33,490/ -
कुल			42,72,000 /- to 62,40,000 /-	44,85,600 /- to 65,52,000 /-	47,09,880 /- to 68,79,600 /-	49,45,374 /- to 80,57,070 /-

*इसमें *5%* की कार्य-निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

<u>मासिक पारिश्रमिक निर्धारण के मानदंड:</u>

(1) परामर्शदाता:

क) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे वित्त में ग्रामीण विकास/व्यवसाय प्रशासन/लोक प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) जिसमें न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 90,000/-। ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

ख) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे वित्त में ग्रामीण विकास/व्यवसाय प्रशासन/लोक प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) जिसमें न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,00,000/-। ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

ग) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे वित्त में ग्रामीण विकास/व्यवसाय

प्रशासन/लोक प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) जिसमें न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,10,000/-। ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

घ) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे वित्त में ग्रामीण विकास/व्यवसाय प्रशासन/लोक प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,20,000/-। ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

ङ) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीण विकास/वित्त में व्यवसाय प्रशासन/लोक प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) जिसमें न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,30,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(2) आईटी विशेषज्ञ:

क) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी, न्यूनतम 2-3 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 50,000/-।
ख) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी, न्यूनतम 3-5 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 60,000/-।
ग) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी, न्यूनतम 5-7 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 70,000/-।/

(3) कार्यालय सहायक:

क) स्नातक जिसके पास न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो या स्नातकोत्तर जिसके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो = रु. 36,000/-।
ख) स्नातक जिसके पास न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव हो या स्नातकोत्तर जिसके पास न्यूनतम 4 वर्ष का समान कार्य अनुभव हो = रु. 40,000/-

अन्य प्रावधान:

i. नियोजित कार्मिक 5% की कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

ii. छुट्टी: कार्मिक एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 24 छुट्टियों (आकस्मिक अवकाश=18, बीमारी अवकाश=6) के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एक वर्ष में 24 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होंगे (अनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी)। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टियों का संचय नहीं होगा।

iii. यात्रा: कार्यभार ग्रहण करने या कार्यभार पूरा होने पर वापसी यात्रा के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए, द्वितीय एसी ट्रेन किराया/हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) की टीए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। होटल आवास के लिए 2500/- रुपये प्रतिदिन तक का डीए स्वीकार्य है, शहर के भीतर यात्रा के लिए

250/- रुपये प्रतिदिन तक स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति और 350/- रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो लागू नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

iv. योग्य उम्मीदवारों के मामले में, चयन के समय प्रभागीय प्रमुख श्रेणी के लिए लागू मासिक पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा से अधिक मासिक पारिश्रमिक की भी सिफारिश कर सकते हैं।

v. "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" की योजना के तहत आवश्यकता के अनुसार, योजना के व्यावसायिक शीर्ष के तहत धन की उपलब्धता के अनुसार, युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को भी काम पर रखा जा सकता है।

vi. फील्ड विजिट (टीए और डीए), प्रशिक्षण, कार्यशालाओं आदि से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए योजना के व्यावसायिक शीर्ष के तहत धन का प्रावधान किया जा सकता है।

vii. मातृत्व लाभ अधिनियम: महिला कर्मचारी समय-समय पर संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत स्वीकार्य मातृत्व अवकाश लाभ के लिए पात्र होंगी।

viii. पंचायती राज मंत्रालय में कार्यरत मौजूदा कार्मिक जो विज्ञापनों / नौकरी के पदों के जवाब में नए सिरे से आवेदन करते हैं, उन्हें नियुक्ति के उद्देश्य से नए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।

*****

अनुबंध- II

आरजीएसए (कार्य अनुसंधान एवं प्रचार) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की भर्ती।

आरजीएसए (कार्य अनुसंधान एवं प्रचार) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की आवश्यकता और उनके अनुमानित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रूप में रु.)

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	मासिक पारिश्रमिक (रेंज)	वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष के अनुसार)			
			2022-23	2023-24 (*)	2024-25 (*)	2025-26 (*)
परियोजना समन्वयक	01	1,00,000/- to 1,50,000/-	12,00,000/- to 18,00,000/-	12,60,000/- to 18,90,000/-	13,23,000/- to 19,84,500/-	13,89,150/- to 20,83,725/-
परामर्शदाता	03	90,000/- to 1,30,000/-	32,40,000/- to 46,80,000/-	34,02,000/- to 49,14,000/-	35,72,100/- to 51,59,700/-	37,50,705/- to 54,17,685/-
कार्यालय सहायक	02	36,000/- to 60,000/-	8,64,000/- to 14,40,000/-	9,07,200/- to 15,12,000/-	9,52,560/- to 15,87,600/-	10,00,188/- to 16,66,980/-
कुल			53,04,000/-to 79,20,000/-	55,69,200/- to 83,16,000/-	58,47,660/- to 87,31,800/-	61,40,043/- to 91,68,390/-

(*) इसमें *5%* की कार्य-निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

<u>मासिक पारिश्रमिक निर्धारण के मानदंड:</u>

(I) कार्य अनुसंधान:

परियोजना समन्वयक:

(क) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,00,000/-।

(ख) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,10,000/-।

(ग) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 12 वर्ष

का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,20,000/-।

(घ) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर/एमबीए, न्यूनतम 14 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,30,000/- |

परामर्शदाता:

(क) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,00,000/-।

(ख) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,10,000/-।

(ग) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) हो = रु. 1,20,000/-।

(घ) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर/एमबीए, न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,30,000/-|

(II) मीडिया:

परामर्शदाता:

(क) मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,00,000/-।

(ख) मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,10,000/-।

(ग) मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,20,000/-।

(घ) किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएशन तथा न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,30,000/-|

(III) कार्य अनुसंधान एवं प्रचार:

क) स्नातक जिसके पास कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में

ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) या स्नातकोत्तर जिसके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो = रु. 36,000/-।

ख) स्नातक जिसके पास कम से कम 6 वर्ष का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) या स्नातकोत्तर जिसके पास कम से कम 4 वर्ष का समान कार्य अनुभव हो = रु. 38,000/-।

वरिष्ठ कार्यालय सहायक:

क) स्नातक जिसके पास न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) या स्नातकोत्तर जिसके पास न्यूनतम 6 वर्ष का समान कार्य अनुभव हो तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा हो = 40,000/- रु.

ख) स्नातक जिसके पास न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव हो (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) या स्नातकोत्तर जिसके पास 12 वर्ष या उससे अधिक का समान कार्य अनुभव हो तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा हो = 42,000/- रु. |

अन्य प्रावधान:

i. नियोजित कार्मिक 5% की कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।
ii. छुट्टी: कार्मिक एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 24 छुट्टियों (आकस्मिक अवकाश=18, बीमारी अवकाश=6) के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एक वर्ष में 24 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होंगे (अनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी)। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टियों का संचय नहीं होगा।
iii. यात्रा: कार्यभार ग्रहण करने या कार्यभार पूरा होने पर वापसी यात्रा के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए, द्वितीय एसी ट्रेन किराया/हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) की टीए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। होटल आवास के लिए 2500/- रुपये प्रतिदिन तक का डीए स्वीकार्य है, शहर के भीतर यात्रा के लिए 250/- रुपये प्रतिदिन तक स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति और 350/- रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो लागू नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।
iv. योग्य उम्मीदवारों के मामले में, चयन के समय प्रभागीय प्रमुख श्रेणी के लिए लागू मासिक पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा से अधिक मासिक पारिश्रमिक की भी सिफारिश कर सकते हैं।
v. "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" योजना के तहत आवश्यकता के अनुसार, योजना के व्यावसायिक शीर्ष के तहत धन की उपलब्धता के अनुसार, युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को भी काम पर रखा जा सकता है।
vi. फील्ड विजिट (टीए एंड डीए), प्रशिक्षण, कार्यशालाओं आदि से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए योजना के व्यावसायिक शीर्ष के तहत धन का प्रावधान किया जा सकता है।
vii. मातृत्व लाभ अधिनियम: महिला कर्मचारी समय-समय पर संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश लाभ के लिए पात्र होंगी।
viii. पंचायती राज मंत्रालय में कार्यरत मौजूदा कार्मिक जो विज्ञापनों/नौकरी के पदों के जवाब में नए सिरे से आवेदन करते हैं, उन्हें नियुक्ति के उद्देश्य से नए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।

*****

अनुबंध- III

केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बजट सारांश - वित्त वर्ष - 2022-23

(राशि करोड़ रू. में)

क्र. सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (861 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (0 ईआर/पीएफ)	0.31
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (2078 प्रतिभागी)	0.37
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (3359 प्रतिभागी)	0.48
घ.	विशेष प्रशिक्षण (1611 प्रतिभागी)	0.70
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (20 प्रतिभागी)	0.01
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना , एक्सपोजर विजिट (बाहरी राज्यों के 30 प्रतिभागी), 2 पीएलसी, जीपी को सहायता प्रदान करना - 70)	0.727
	सीबी एंड टी का कुल योग	**2.597**
2.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
	कुल (आवर्ती लागत)	**0.84**
3.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**1.00**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.142
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.176
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (7 बीपीएमयू)	0.224
	पीएमयू का कुल योग	**0.542**
	कुल योग	**4.979**
7.	**आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)**	0.099
8.	**पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)**	0.075
	कुल योजना	**5.153**

अरुणाचल प्रदेश 2022-23 का बजट सारांश मिनट

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i.	सामान्य अभिमुखीकरण (310 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (शून्य)	0.1395
ii.	पंचायत विकास योजना (1252 प्रतिभागी)	1.1375
iii.	विषयगत प्रशिक्षण - (11400 प्रतिभागी)	3.42
iv.	विशेष प्रशिक्षण (1021 प्रतिभागी)	0.619
v.	कोई अन्य प्रशिक्षण (2 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम @30 प्रतिभागी प्रत्येक 30 दिन की अवधि)	0.45
vi.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियां (2233 हैंडहोल्डिंग, 140(5बार)टीएनए, 10 प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना , 10 प्रशिक्षण एवं सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का विकास, ईवी (700 के अंदर, 150 के बाहर), 23 पीएलसी, 1-सीबीएंडटी का मूल्यांकन, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 250, कार्यशाला: शून्य	8.97225
	सीबी एंड टी का कुल योग	**14.73825**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	डीपीआरसी निर्माण (केवल एनई 12 नंबर डीपीआरसी निर्माण, 11 नंबर डीपीआरसी किराए पर डीपीआरसी के लिए)	24.69785
ii	किराये के भवन पर बीपीआरसी (शून्य नई बीपीआरसी)	0.0
2.क	**संस्थागत अवसंरचना का कुल योग**	**24.69785**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i.	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1-एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 8-प्रशासनिक कर्मचारी जिसमें 2 ड्राइवर शामिल हैं)	0.84
ii.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (50 विषयगत विशेषज्ञ, 25 टीए, 25 लेखा और एमआईएस सहायक, 25 एमटीएस)	5.00
iii.	बीपीआरसी आवर्ती लागत	0.0
3.क	**कुल (आवर्ती लागत)**	**5.84**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**0.0**
5	**पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)**	
i.	पीबी (800 पीबी नया) और 139 कैरी ओवर (दूसरी किस्त के लिए 67 सीओ + 72 सीओ) का निर्माण। कुल 939 पीबी। (ध्यान दें कि 306 पीबी (145+161) के लिए पूरी राशि दी गई है।)	181.10

ii.	सीएससी का सह-स्थापन 800 नए सीएससी और 139 कैरी ओवर (दूसरी किस्त के लिए 67 सीओ + 72 सीओ)। कुल 939 सीएससी (ध्यान दें कि 306 सीएससी (145+161) के लिए पूरी राशि दी गई है।)	44.22
iii.	पीबी कैरी ओवर की मरम्मत (शून्य कैरी ओवर)	0.0
	पीआई का कुल	**225.32**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) (राज्य परियोजना प्रबंधक, राज्य समन्वयक (ई.जीओवी), वित्तीय सलाहकार, डीईओ और एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (जिला परियोजना प्रबंधक, जिला समन्वयक (ई-गव), डीईओ और 25 जिलों के लिए एमआईएस विशेषज्ञ)	2.70
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	0
	पीएमयू का कुल योग	**2.964**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
i.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (442 CO+358 नया)	**4.0**
	ई.सक्षमता का कुल योग	**4.0**
	कुल-योग	**277.5601**
10	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	5.551202
11	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	4.1634015
	कुल योजना	**287.2747**

बिहार बजट 2022-23 का सारांश विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरण (**256322 प्रतिभागी)**	74.645
ख	पंचायत विकास योजना (179153 **प्रतिभागी**)	18.229
ग	विषयगत प्रशिक्षण - (1178315 **प्रतिभागी**)	119.382
घ	विशेष प्रशिक्षण (59384 **प्रतिभागी**)	10.142
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (153551 **प्रतिभागी**)	25.084
च	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (4000 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करना , ईवी (300 के अंदर, 120 के बाहर), 5 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 18)	9.277
	सीबीएंडटी का कुल योग	**256.759**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
क	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.19
ख	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	2.269
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**2.459**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (38 डीपीआरसी)	7.60
	कुल (आवर्ती लागत)	**8.44**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा** (**39** एसआईटी (**1** एसपीआरसी और **38** डीपीआरसी)	**0.585**
5	**पंचायत अवसंरचना के लिए समर्थन (पीआई)**	
क	पीबी का निर्माण (500 कैरी ओवर)	100
ख	सीएससी का सह-स्थापन या कैरी ओवर (250 कैरी ओवर)	10.00
	पीआई का कुल	**110.00**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) (38 जिले)	4.104
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) 533 ब्लॉक	25.584
	पीएमयू की कुल संख्या	**29.952**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
क	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (267 यूनिट (सी.ओ.) @ 40,000/-)	1.068
	ई.सक्षमता का कुल	**1.068**

	कुल योग	**409.263**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	8.185
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	6.138
	कुल योजना	**423.586**

<u>झारखंड बजट 2022-23 का सारांश विवरण</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i.	सामान्य अभिमुखीकरण **(63911 प्रतिभागी)**	30.49
ii.	पंचायत विकास योजना **(60989 प्रतिभागी)**	15.45
iii.	विषयगत प्रशिक्षण - **(22644 प्रतिभागी)**	11.01
iv.	विशेष प्रशिक्षण **(29640 प्रतिभागी)**	8.09
v.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	16.11
	सीबीएंडटी का कुल योग	**81.15**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
i.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.44
ii.	किराये के भवन पर बीपीआरसी (100 संख्या)	2.40
iii.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना	0.18
2.क	**संस्थागत अवसंरचना का कुल योग**	**3.02**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
iv.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.60
v.	डीपीआरसी आवर्ती लागत(24 डीपीआरसी के लिए)	3.16
vi.	बीपीआरसी आवर्ती लागत(264 बीपीआरसी के लिए)	7.39
3.क	**कुल (आवर्ती लागत)**	**11.15**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (1 स्टूडियो और 50 एसआईटी के लिए)**	**1.75**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता (पीआई)**	
iv.	पीबी (150 पीबी) कैरी ओवर की मरम्मत	6.00
v.	सीएससी (150) कैरी ओवर का सह-स्थापन	6.00
5.क	**पीआई का कुल योग**	**12.00**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
I	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.21
Ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)(24 डीपीएमयू के लिए)	2.16
Iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) 264 बीपीएमयू के लिए)	8.23
6.क	**पीएमयू का कुल योग**	**10.60**
7	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता (**16** पेसा जिलों के लिए)	**2.41**
8	ई.पंचायतों को सक्षम बनाना	

ii.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (240 कैरी ओवर के रूप में)	**0.96**
8.क	**ई.सक्षमता का कुल योग**	**0.96**
	अन्य घटकों का योग	
		123.04
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.46
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.84
	कुल योजना	**127.34**

एसपीआर की टिप्पणी:-

i. **एसपीआर ने सीईसी से सभी ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।**

ii. **राज्य को आर्थिक विकास और नवाचारों के लिए सहायता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसे ग्रामराजस्वराज में अपलोड करने की आवश्यकता है।**

iii. **राज्य ने राज्यों में पेसा के मसौदा नियम की स्थिति साझा की है, जिसमें एसपीआर ने राज्य को अलग से स्थिति अपडेट करने के लिए कहा है।**

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का बजट सारांश - वित्त वर्ष - 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (0 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (224ईआर/पीएफ)	0.10
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (4674 प्रतिभागी)	1.248
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (1949 प्रतिभागी)	0.438
घ.	विशेष प्रशिक्षण (3188 प्रतिभागी)	0.779
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (164 प्रतिभागी)	0.082
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (हैंडहोल्डिंग-193, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना , प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (583 प्रतिभागियों के बाहर), 10 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 8 एमटी)	4.0
	सीबी एंड टी का कुल योग	**6.647**
2.	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	किराए के भवन में एस.पी.आर.सी.	0.09
ख.	किराए के भवन में डी.पी.आर.सी.	0.12
ग.	किराए के भवन में बी.पी.आर.सी.	0.36
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**0.57**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (2 डीपीआरसी)	0.384
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (10 बीपीआरसी)	0.42
	कुल (आवर्ती लागत)	**1.644**
4.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (स्टेट-1, एसआईटी-1 और रखरखाव में स्टूडियो)**	**2.504**
5.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.258
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.216

ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (31 बीपीएमयू)	1.488
	पीएमयू का कुल योग	**1.962**
6.	**पंचायतों के कंप्यूटर का ई-सक्षमीकरण (63 ग्राम पंचायतों के लिए)**	**0.315**
	कुल योग	**13.642**
7.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	**0.272**
8.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	**0.204**
	कुल योजना	**14.118**

राज्य का बजट सारांश - मध्य प्रदेश - वित्तीय वर्ष - 2022-23

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (395549 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (0- ओआर/पीएफ)	83.58
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (1047840 प्रतिभागी)	98.02
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (414198 प्रतिभागी)	82.84
घ.	विशेष प्रशिक्षण (171714 प्रतिभागी)	19.46
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (5237 प्रतिभागी)	1.05
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना , एक्सपोजर विजिट (राज्य के अंदर 4000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 2500 प्रतिभागी), 9 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 2817 एमटी, जीपी को सहायता प्रदान करना - 10000)	27.3
	सीबीएंडटी का कुल योग	**312.25**
2.	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.00
ख.	किराए के भवन में डीपीआरसी (30 जिसमें 20 पेसा और 10 सबसे आंतरिक जिले शामिल हैं)	1.80
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.05
घ.	किराए के भवन में बीपीआरसी (150 जिसमें 89 पेसा और 61 सबसे आंतरिक ब्लॉक शामिल हैं)	5.40
ङ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों किराये पर लेना	2.78
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**10.03**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.56
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (41 डीपीआरसी - 30 नए, 6 ईटीसी और 5 पीटीसी)	8.41
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (150 बीपीआरसी)	6.30
	कुल (आवर्ती लागत)	**15.27**
4.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**5.53**

	(कैरी ओवर)	
5.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52 डीपीएमयू)	5.62
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (313 बीपीएमयू)	15.02
	पीएमयू का कुल योग	**20.90**
6.	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता**	**30.04**
7.	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो उसे शामिल करते हुए)**	
	आर्थिक विकास और आय में वृद्धि (अतिरिक्त गतिविधियाँ)	8.65
	अन्य घटकों का योग	**8.65**
	कुल योग	**402.67**
8.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	8.05
9.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	6.04
	कुल योजना	**416.76**

पंजाब का बजट सारांश कार्यवृत्त 2022-23

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i.	पंचायत विकास योजना **(154893 प्रतिभागी)**	28.239
ii.	विषयगत प्रशिक्षण - **(93441 प्रतिभागी)**	9.474
iii.	विशेष प्रशिक्षण **(6200 प्रतिभागी)**	0.737
iv.	कोई अन्य प्रशिक्षण **(300 प्रतिभागी)**	0.075
v.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	30.08
	सीबी एंड टी का कुल योग	**68.60**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
i.	ब्लॉक स्तर में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराए पर लेना	0.374
2.क	**संस्थागत अवसंरचना का कुल योग**	**0.374**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii.	डीपीआरसी आवर्ती लागत(23 डीपीआरसी के लिए)	1.702
iii.	बीपीआरसी आवर्ती लागत(154 बीपीआरसी के लिए)	4.92
3.क	**कुल (आवर्ती लागत)**	**7.462**
4	**राज्य स्तर पर 1 स्टूडियो और 3 मैनपावर के लिए** SATCOM **या** IP **आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा)**	**1.108**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता (पीआई)**	
i.	पीबी (259 पीबी) का निर्माण कार्य जारी	51.80
5.क	**पीआई का कुल योग**	**51.80**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) 23 डीपीएमयू के लिए	2.428
iii.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) (154 बीपीएमयू के लिए)	7.392
6.क	**पीएमयू का कुल योग**	**10.084**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
i.	स्थानीय भाषा में एप्लीकेशनों का अनुवाद	**0.05**
7.क	**ई.सक्षमता का कुल योग**	**0.05**
8	**अन्य घटकों का योग**	**139.47**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.78
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.09
	कुल योजना	**144.35**

I. **एसपीआर ने सीईसी से सभी ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।**

II. **राज्य को आर्थिक विकास और नवाचारों के लिए सहायता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है**

III. **राज्य ने राज्य में पंद्रहवें वित्त आयोग के भुगतान में मुद्दे उठाए हैं। एसपीआर ने संबंधित प्रभाग को इस पर ध्यान देने और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा।**

राजस्थान बजट सारांश कार्यवृत्त 2022-23

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि	
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**		
i	सामान्य अभिमुखीकरण (194981 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (81478 ई.आर.जी.पी.)	45.465	
ii	पंचायत विकास योजना (73186 प्रतिभागी)	12.105	
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (46334 प्रतिभागी)	7.019	
iv	पेसा विशेष प्रशिक्षण (23646 प्रतिभागी)	4.105	
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (19006 भाग में प्रस्तावित अन्य प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां शामिल हैं)	2.532	
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (352 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री तैयार करना , ईवी (1155 के अंदर, 300 के बाहर), 5 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 2842)	9.988	
	सीबी एंड टी का कुल योग	**81.214**	
2	**संस्थागत अवसंरचना**		
i	डीपीआरसी कंस्ट्रक्शन किराए पर ली गई इमारत (3 यूनिट)	0.18	
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों को किराये पर लेना	0.045	
iii	किराये के भवन पर बीपीआरसी (57 इकाई)	2.052	
iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों को किराये पर लेना	0.168	
2.क	**संस्थागत अवसंरचना का कुल योग**	**2.445**	
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**		
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84	
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी)	6.60	
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (295 कार्यात्मक बीपीआरसी)	12.39	
3.क	**कुल (आवर्ती लागत)**	**19.83**	
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी (स्टूडियो और एसआईटी) के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**1.05**	
5	पंचायत अवसंरचना के लिए सहयोग (पीआई)		
i	पीबी का निर्माण (43 कैरी ओवर)	8.60	
ii	पीबी की मरम्मत (180 कैरी ओवर)	7.20	
iii	सीएससी का सह-स्थान (177 कैरी ओवर@ 4 लाख)	7.08	
	पीआई का कुल योग	**22.88**	
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**		
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.176	
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (25 डीपीएमयू)	2.152	
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (297 बीपीएमयू)	10.164	
	पीएमयू का कुल योग	**12.492**	
7	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता**	**7.468**	
8	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**		

	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) **	0	
	ई.सक्षमता का कुल योग	**0**	
	कुल योग	**147.379**	
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.947	
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.21	
	कुल योजना	**152.536**	

*सीबी एंड टी के अन्य घटक के तहत प्रस्तावित प्रशिक्षण, किसी अन्य प्रशिक्षण के तहत विचार किया जाएगा

** राज्य ने कंप्यूटर का प्रस्ताव नहीं दिया है, हालांकि सीईसी बैठक के दौरान राज्य द्वारा संकेत दिया गया कि इस घटक के तहत इसे आगे बढ़ाया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।

राज्य का बजट सारांश - तमिलनाडु - वित्त वर्ष - 2022-23

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (**0-** ई.आर./पी.एफ.)	0
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (100267 प्रतिभागी)	0.26
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (100230 प्रतिभागी)	30.097
घ.	विशेष प्रशिक्षण (9786 प्रतिभागी)	4.917
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (11638 प्रतिभागी)	6.955
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना , एक्सपोजर विजिट (10 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 200 एमटी, जीपी को हैंडहोल्डिंग सहायता-776)	2.75
	सीबी एंडटी का कुल योग	**44.98**
2.	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराए पर लेना	0.466
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**0.466**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (37 डीपीआरसी)	5.55
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (0 बीपीआरसी)	0.00
	कुल (आवर्ती लागत)	**6.39**
4.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (कैरी ओवर)**	**3.88**
5.	पंचायत अवसंरचना के लिए सहयोग (पीआई)	
क.	सीएससी का सह-स्थापन (460 सी.ओ.)	23.00
	पीआई का कुल योग	**23.00**
6.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26

ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (37 डीपीएमयू)	3.55
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (388 बीपीएमयू)	18.26
	पीएमयू का कुल योग	**22.44**
	कुल योग	**101.156**
8.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	2.023
9.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	1.517

नोट:- एसपीआर ने राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नवाचार के लिए सहयोग के तहत अनुमोदित परियोजना की स्थिति और प्रगति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

पश्चिम बंगाल का बजट सारांश कार्यवृत्त 2022-23

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
vii.	सामान्य अभिमुखीकरण **(537 प्रतिभागी)**	0.242
viii.	पंचायत विकास योजना **(2,28,288 प्रतिभागी)**	24.04
ix.	विषयगत प्रशिक्षण - **(83971 प्रतिभागी)**	26.70
x.	विशेष प्रशिक्षण **(35948 प्रतिभागी)**	4.62
xi.	कोई अन्य प्रशिक्षण **(98378 प्रतिभागी)**	13.48
xii.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, 630 राज्य के भीतर और 100 राज्य के बाहर, मूल्यांकन, 9 पीएलसी {1 सीओ + 8 नए} और अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर)	2.03
	सीबी एंड टी का कुल योग	**71.12**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	डीपीआरसी का किराए का भवन (5 डीपीआरसी)	0.30
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना (5 विशेष)	0.06
iii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराए पर लेना (345 बी.पी.आर.सी.)	0.27
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**0.63**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
	डीपीआरसी आवर्ती लागत	5.20
	बीपीआरसी आवर्ती लागत	13.02
	कुल (आवर्ती लागत)	**19.06**
4	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति और तकनीक का कोई वैकल्पिक तरीका (कुल **122** इकाइयाँ = **100** ब्लॉक और **22** जिले)	**9.72**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.22
ii.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.04
iii.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	5.453
	पीएमयू का कुल योग	**7.713**
6	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)**	

i.	नवाचार परियोजना (1 परियोजना आगे बढ़ाई जाएगी) (यह परियोजना 3227 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वित्त वर्ष 21-22 में 22 लाख रुपये खर्च किए गए, शेष 78.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 22-23 में सीओ हैं)	**0.78**
ii.	आर्थिक विकास और आय वृद्धि। कुल परियोजनाएँ = 6. 6 आर्थिक परियोजनाएँ कैरीओवर थीं।	**6.95**
	अन्य घटकों का कुल योग	**7.73**
	कुल योग	**115.973**
8	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.32
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.74
	कुल योजना	**120.03**

नोट:- संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल ने बताया कि राज्य ने दिनांक 23.03.2021 के DoE के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है और व्यय बहुत जल्द ही किया जाएगा और 22 अक्टूबर तक वे पहली किस्त के लिए आएंगे।

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्पर्क करने हेतु विवरण (मोबाइल, ई-मेल आदि)
1.	श्री नवीन शाह, संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास मंत्रालय	9906768355 jk099@ifs.nic.in
2.	श्री चंदना, अनुसंधान अधिकारी	नीति आयोग	9958461499 chandana.ganta@nic.in
3.	श्री वेरी बिस्वास, कॉम/सचिव	आरडी एंड पीआर, यूटी लद्दाख	9419165917
4.	श्री रामेंद्र प्रताप शुक्ला, उप सचिव	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	9891789170 rp.shukla67@nic.in
5.	श्री जतिंदर सिंह बराड़, उप निदेशक	ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पंजाब सरकार	9814067251 jatinder.brar@punjab.gov.in
6.	श्री नवीन जैन, सचिव	पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार	9929204300 n_j2@rediffmail.com
7.	सुश्री रूबी कुमारी, पीएमयू लीड	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	9431029386 ruby.xiss11@gmail.com
8.	श्री एस.आर.मीणा, संयुक्त सचिव	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	9660218000
9.	सुश्री पी. लक्ष्मी राणा,	एनआईसी	9873122332
10.	सुश्री कल्पना कुमारी	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार	9798849712 kalpana9973@gmail.com
11.	श्री. सैमुअल इनबदुराज, निदेशक एवं नोडल अधिकारी आरजीएसए	एसआईआरडी एवं पीआर, तमिलनाडु विभाग	9384850167 sirdtn@gmail.com
12.	डॉ. नारायण साहू, उप निदेशक, वरिष्ठ संकाय अहिकारी	पीआर एवं डीपी, अरुणाचल प्रदेश सरकार	
13.	श्री मिहिर कुमार सिंह, प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	
14.	ईआर. नबाम राजेश, उप निदेशक (आरई)	एसएनओ आरजीएसए (पीआर), अरुणाचल प्रदेश सरकार	9456222178 nabamrajesh1008@gmail.com

15.	श्री आलोक सिंह, पंचायत,निदेशक,	मध्य प्रदेश सरकार	9428176830
16.	सुश्री शिवानी वर्मा, संयुक्त निदेशक	पंचायती राज निदेशालय	9424083938
17.	सुश्री राजेश्वरी बी., मनरेगा आयुक्त एवं निदेशक	झारखंड सरकार	6203649253 panchayat-jhr@nic.in
18.	श्री आर. सुधाकर राव, एएओ, आवास आयुक्त का कार्यालय	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	7303341980 sudha2010pb@gmail.com